Á| foKfIr

होटल रमाडा प्लाजा, (नई दिल्ली) प्रैस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संयुक्त कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों ने बताया।

उत्तर भारत की क्राफ्ट पेपर मिल्स ने एक माह के अन्दर रू 3000 से 4000 प्रति टन तक की विभिन्न प्रकार के पैकेजिंग पेपर पर बढ़ोतरी कर दी है। पेपर, पैकेजिंग उद्योग का मुख्य रॉ मैटिरियल है जिसके रेट बढ़ने से पैकेजिंग उद्योग बन्द होने के कग़ार पर आ गया है। अन्य जरुरी वस्तुओं जैसे स्टार्च, स्टिचिंग वायर का मूल्य लगभग 50 प्रतिशत बढ़ चुका है। यह मिली जुली बढ़ोतरी पैकेजिंग उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है।

उक्त जानकारी देते हुए संयुक्त कार्यकारी समिति के संयोजक श्री हरीश मदान ने कहा कि इस विज्ञप्ति से हम आपका ध्यान अपने उद्योगों की मुश्किलों की तरफ दिलाना चाहते हैं। इस मुश्किल भरे समय में पैकेजिंग उद्योग को चलाना असम्भव हो गया है। हमारी कोरोगेटिड पैकेजिंग उद्योग बड़ी पेपर मिल्स व बड़े उपभोक्ताओं के बीच में सैंडविच बन कर रह गई है।

पैकेजिंग उद्योग का भविष्य पेपर उद्योग के निर्माताओं के गैर जिम्मेदाराना रवैये से अंधकारमय होता जा रहा है। उत्तरी भारत के पेपर मिलों के मालिक सरकार की नीतियों को धता बताते हुए पेपर की कीमतें मनमाने ढंग से बढ़ा रहे हैं। हाल फिलहाल में 20 दिनों के अन्दर 3 बार एक–एक व दो–दो रुपये करके कीमतें बढाई हैं।

उक्त जानकारी देते हुए संयुक्त कार्यकारी समिति के सदस्य, श्री सुशील सूद ने कहा कि पैकेजिंग उद्योग में उपयोग किये जाने वाले कागज के निर्माता बेवजह कागज की कीमतें बढ़ा देते हैं। उन्होंने बताया कि दिनांक 25 जनवरी को उत्तरी भारत पेपर मिल निर्माताओं ने दिल्ली के 'कनॉट' होटल में बैठक की और उसमें 1 रूपया प्रति किलो के दर से रेट बढ़ा दिया गया था और अपनी बात मनवाने के लिए व माल की कमी करने के लिए हर माह की 25 से 1 तारीख तक मिलों का उत्पादन जानबूझ कर संगठित तौर पर बंद कर दिया जाता है (घोषणा कर के) जिससे बाजार में अनिश्चित्ता का माहौल बनाकर मनमाने दाम वसूले जाते हैं। मिलों का उत्पादन चालू करने से पहले 30 जनवरी को फिर 2 रूपये प्रति किलो कीमत और बढा दी गई। तत्पश्चात 12 दिनों क बाद 12 फरवरी को पुनः 1 रूपये प्रति किलो के दर से रेट बढ़ा दिया गया। इस प्रकार 25 जनवरी से 12 फरवरी के बीच 4 रूपये प्रति किलो की दर से कीमतें बढ़ा दी गई।

श्री पंकज अग्रवाल (UPCBMA) ने इस पर और रोशनी डालते हुए बताया कि यह प्रक्रिया मिल मालिकों द्वारा पिछले चार साल से लगातार इन्ही दिनों की जा रही है।

बड़े उद्योगों की गुटबाजी या मनमानी पर लगाम लगाने की मंशा से सरकार ने मई 2009 में संविधान के अन्तर्गत कम्पीटिशन एक्ट 2002 (सी ए) दिया हुआ है। उक्त जानकारी देते हुए राजस्थान कोरोगेटिड बाक्स मैनुफैकचर्स एसोसियशन के अध्यक्ष श्री प्रेम खत्री ने कहा कि क्राफ्ट पेपर मिलों के इस कृत्य का प्रतिकूल प्रभाव आम लोगों पर पड़ना तय है क्योंकि पैकेजिंग उत्पाद का उपयोग हमारी

दिनचर्या मे शामिल है। दूध–दवाई से शुरु होकर प्रति दिन उपयोग होने वाले सभी ॒पदार्थ बिना पैकेजिंग के कहीं भी पहुँचना संभव नहीं है तथा इस प्रकार सरकार के कम्पीटिशन एक्ट का खुला उलंघन हो रहा है।

श्री आर पी सिंह (अध्यक्ष PCBMA) ने कहा कि जहाँ आज आम जनता मंहगाई को लेकर त्रहि–त्रहि कर रही है वहां पर पेपर की इस तरह बेइनतहा बढ़ोतरी आम जनता की कहीं न कहीं कमर तोड़ रही है। अगर सरकार को महगाई रोकनी है, तो इस तरह गुटबाजी करके कीमतों को बढ़ानें वाले उद्योग मालिकों पर अंकुश लगाना जरुरी है।

श्री राज कमल जिन्दल (अध्यक्ष NICMA) ने कहा यदि पेपर मिल्स ने पेपर के दाम पर अंकुश न लगाया और न ही हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया तो इसमें कोई शक नहीं कि पैकेजिंग उद्योग अपने आप ही बन्दी के कगार पर चला जायेगा।

श्री देवेन्द्र सहगल (अध्यक्ष HPCBMA) ने कहा कि कोरोगेटिड पैकेजिंग लघु उद्योगों के श्रेणी में है और बड़े पेपर उद्योग गुट बनाकर पैकेजिंग उद्योग को बर्बाद करने पर तुले हैं।

उत्तर भारत के निम्न संगठनों :–

uknlu bfM;k dkjkxfVM ckDl euQdpll ,lkfl;'ku
mRrj Ánš'k dkjkxfVM ckDl euQdpll ,lkfl;'ku
fgekpy Ánš'k dkjkxfVM ckDl euQdpll ,lkfl;'ku
jktLFkku dkjkxfVM ckDl euQdpll ,lkfl;'ku
itkc dkjkxfVM ckDl euQdpll ,lkfl;'ku

ने पेपर मिल्स की अनैतिक नितियों व सरकार की निश्क्रयता के खिलाफ अपनी वाजिब मांगो को लेकर सड़क पर उतरने का फैसला किया है और आज प्रैस कान्फ्रेस में यह भी घौषणा की कि पेपर पैकेजिंग के सभी राज्यों के निर्माता पेपर मिलों की जादती के खिलाफ जन्तर मन्तर पर दिनांक 03.03.2010 को प्रदर्शन करेंगे। इस मुहिम में mRrjk[k.M व gfj;k.kk के पैकेजिंग उद्योग भी हमारे साथ खडे हैं।

श्री के. शशीधरन (अध्यक्ष UPCBMA) ने कहा कि कोरोगेटिड पैकेजिंग उद्योग के प्रतिनिधि अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय उद्योग मंत्री व केन्द्रीय वित्त मंत्री को दे चुके हैं जिसमें क्राफ्ट पेपर पर आयात शुल्क शून्य करने के साथ–साथ पैकेजिंग उद्योग पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए प्रार्थना की गई है। इसके साथ–साथ पेपर मिलों की गुटबाजी के खिलाफ त्वरित कार्यवाही करने की भी मांग की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के कारण, आज तक की स्थिति में, उपभोक्ताओं को कम से कम 20 से 25 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर देना पड़ेगा, जिससे कि पैकेजिंग उद्योग व उपभोक्ता दोनों का कार्य बिना रुकावट चलता रहे।

धन्यवाद